उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड

द्वितीय तल, A&D ब्लाक, किसान मण्डी भवन, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ–226018 (उ0प्र0)
टेलीफोन:91–522–2344000/1, टॉलफ्री नं0–18001805412 फैक्सः 91–522–2344002,
ई–मेलः upbocboardlko@gmail.com

पत्रांकः /भ0नि0बोर्ड–(2177) दिनांकः .04.2023

::अधिसूचना::

अवगत कराना है कि उत्तर प्रदेश शासन के पत्र संख्या : 2252886/2023/श्रम–2 दिनांक 03.01.2023 द्वारा प्राप्त अनापत्ति के क्रम में बोर्ड की अधिसूचना संख्या : 6527–28/भ0नि0बोर्ड–(2177)/2023 दिनांक 11.01.2023 द्वारा ''अटल आवासीय विद्यालय योजना'' अधिसूचित की गयी है।

उपर्युक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि उ0प्र0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड में पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के बच्चों एवं कोरोना काल में निराश्रित हुए बच्चों तथा मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना (सामान्य) के लिए पात्र बच्चों के हितार्थ ''अटल आवासीय विद्यालय योजना'' के संशोधन पर उत्तर प्रदेश शासन के पत्र संख्या 05/2023/2357239/2023/श्रम–2 दिनांक 05.04.2023 द्वारा अनापत्ति प्रदान की गयी है। प्राप्त अनापत्ति के अनुक्रम में संशोधित योजना निम्नवत् हैः–

वर्तमान प्रावधान	पारित संशोधन के उपरान्त व्यवस्था
1–योजना का नाम– अटल आवासीय विद्यालय योजना	**1–योजना का नाम– अटल आवासीय विद्यालय योजना**
2–योजना का उददेश्य–	**2–योजना का उददेश्य–**
इस योजना का मूल उद्देश्य भवन एवं अन्य सन्निर्माण प्रक्रियाओं में कार्यरत लाभार्थी पंजीकृत श्रमिकों के बच्चों एवं अन्य अनाथ बेसहारा बच्चों को सामाजिक न्याय की अवधारणा के दृष्टिगत समाज की मुख्य धारा से जोड़े जाने हेतु उनके बौद्धिक शारीरिक विकास एवं उनके सम्पूर्ण व्यक्तित्व का विकास करना है ताकि वह भविष्य में देश के सशक्त नागरिक बन सके एवं उच्च शिक्षा के लिए व्यवस्थित, सुगठित एवं सुसंस्कृत ढंग से तैयार हो सके। योजना का उद्देश्य ऐसे बच्चों को कक्षा 06 से कक्षा 12 तक की निःशुल्क गुणवत्तापूर्ण आवासीय शिक्षा उपलब्ध कराना है।	इस योजना का मूल उद्देश्य भवन एवं अन्य सन्निर्माण प्रक्रियाओं में कार्यरत लाभार्थी पंजीकृत श्रमिकों के बच्चों एवं **कोरोना काल में निराश्रित हुए बच्चों (महिला कल्याण विभाग, लखनऊ से प्राप्त सूची के आधार पर) तथा मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना (सामान्य) के लिए पात्र बच्चों** को सामाजिक न्याय की अवधारणा के दृष्टिगत समाज की मुख्य धारा से जोड़े जाने हेतु उनके बौद्धिक शारीरिक विकास एवं उनके सम्पूर्ण व्यक्तित्व का विकास करना है ताकि वह भविष्य में देश के सशक्त नागरिक बन सके एवं उच्च शिक्षा के लिए व्यवस्थित, सुगठित एवं सुसंस्कृत ढंग से तैयार हो सके। योजना का उद्देश्य ऐसे बच्चों को कक्षा 06 से कक्षा 12 तक की निःशुल्क गुणवत्तापूर्ण आवासीय शिक्षा उपलब्ध कराना है।
3–पात्रता–	**3–पात्रता–**
1. इस योजना के अन्तर्गत ***अनाथ बच्चे*** एवं ऐसे अद्यतनीकृत रूप से विधिवत पंजीकृत निर्माण श्रमिक जो पंजीयन के उपरान्त कम से कम 01 वर्ष (365 दिन) बोर्ड की सदस्यता अवधि पूर्ण कर चुके हों, उनके बच्चें पात्र होंगें।	1. इस योजना के अन्तर्गत **कोरोना काल में निराश्रित हुए बच्चों (महिला कल्याण विभाग, लखनऊ से प्राप्त सूची के आधार पर) तथा मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना(सामान्य) के लिए पात्र बच्चों** एवं ऐसे अद्यतनीकृत रूप से विधिवत पंजीकृत निर्माण श्रमिक जो पंजीयन के उपरान्त **कम से**

	कम 03 वर्ष बोर्ड की सदस्यता अवधि पूर्ण कर चुके हों, उनके बच्चे पात्र होंगें।
2. योजना के अन्तर्गत पंजीकृत कामगार के अधिकतम 02 बच्चे विद्यालय में अध्ययन करने हेतु पात्र होगें।	2. योजना के अन्तर्गत **पंजीकृत कामगार परिवार के अधिकतम 02 बच्चे** विद्यालय में अध्ययन करने हेतु पात्र होगें।
4–विद्यालय संचालन की रूप रेखा–	**4–विद्यालय संचालन की रूप रेखा–**
1. इन विद्यालयों में शिक्षा का पाठ्यक्रम सी0बी0एस0ई0 बोर्ड से अंग्रेजी माध्यम से नवोदय विद्यालय की भॉति किया जायेगा।	1. इन विद्यालयों में शिक्षा का पाठ्यक्रम सी0बी0एस0ई0 बोर्ड से अंग्रेजी माध्यम से नवोदय विद्यालय की भॉति किया जायेगा।
2. प्रत्येक विद्यालय की छात्र क्षमता 1000 की होगी, जिसमें 500 छात्र एवं 500 छात्राएँ होगीं।	2. प्रत्येक विद्यालय की छात्र क्षमता 1000 की होगी, जिसमें 500 छात्र एवं 500 छात्राएँ होगीं।
3. प्रत्येक वर्ष निर्माण श्रमिकों के बच्चों एवं ***अनाथ बेसहारा बच्चों*** के लिए प्रवेश परीक्षा आयोजित की जायेगी, जिसमें उत्तीर्ण अभ्यर्थियों का मेरिट के अनुसार विद्यालयों में प्रवेश लिया जायेगा।	3. प्रत्येक वर्ष निर्माण श्रमिकों के बच्चों एवं **कोरोना काल में निराश्रित हुए बच्चों (महिला कल्याण विभाग, लखनऊ से प्राप्त सूची के आधार पर) तथा मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना (सामान्य) के लिए पात्र बच्चों** का प्रवेश अटल आवासीय विद्यालय समिति (AVS) द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के आधार पर लिया जायेगा।
5–योजना का क्रियान्वयन–	**5–योजना का क्रियान्वयन–**
1. अटल आवासीय विद्यालयों का संचालन, अटल आवासीय विद्यालय समिति (AVS) के माध्यम से किया जायेगा। अटल आवासीय विद्यालय समिति में समस्त प्रकरणों के प्रबन्धन, जिसमें बजट निर्धारित करना भी सम्मिलित होगा, की शक्तियॅा निहित होगी। विद्यालयों के गुणवत्ता पूर्वक संचालन हेतु विभिन्न प्रकार की समितियाँ गठित करने एवं अन्य आवश्यक कार्य हेतु निर्णय लेने हेतु समिति ही अधिकृत होगी।	1. अटल आवासीय विद्यालयों का संचालन, अटल आवासीय विद्यालय समिति (AVS) के माध्यम से किया जायेगा। अटल आवासीय विद्यालय समिति में समस्त प्रकरणों के प्रबन्धन, जिसमें बजट निर्धारित करना भी सम्मिलित होगा, की शक्तियॅा निहित होगी। विद्यालयों के गुणवत्ता पूर्वक संचालन हेतु विभिन्न प्रकार की समितियाँ गठित करने एवं अन्य आवश्यक कार्य हेतु निर्णय लेने हेतु समिति ही अधिकृत होगी।
2. उ0प्र0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के स्तर से योजना के क्रियान्वयन हेतु बोर्ड स्तर पर विद्यालय संचालन सेल का गठन किया जायेगा।	2. उ0प्र0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के स्तर से योजना के क्रियान्वयन हेतु बोर्ड स्तर पर विद्यालय संचालन सेल का गठन किया जायेगा।
6–योजना के अन्तर्गत बजट की व्यवस्था–	**6–योजना के अन्तर्गत बजट की व्यवस्था–**
1. अटल आवासीय विद्यालयों के संचालन के मद मे होने वाले समस्त व्यय की व्यवस्था उ0प्र0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड द्वारा की जायेगी। बोर्ड द्वारा अटल आवासीय विद्यालय समिति (AVS) के कार्यालय के मद में होने वाले व्यय का वार्षिक बजट बोर्ड से पास कराते हुए समिति को उपलब्ध करायी जायेगी।	1. अटल आवासीय विद्यालयों के संचालन के मद मे होने वाले समस्त व्यय की व्यवस्था उ0प्र0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड द्वारा की जायेगी। बोर्ड द्वारा अटल आवासीय विद्यालय समिति (AVS) के कार्यालय के मद में होने वाले व्यय का वार्षिक बजट बोर्ड से पास कराते हुए समिति को उपलब्ध करायी जायेगी।
2. समिति द्वारा वार्षिक प्रगति रिपोर्ट तथा आडिटेड बैंलेंसशीट बोर्ड कार्यालय को उपलब्ध करायी जायेगी। इसी	2. समिति द्वारा वार्षिक प्रगति रिपोर्ट तथा आडिटेड बैंलेंसशीट बोर्ड कार्यालय को उपलब्ध करायी जायेगी।

प्रकार समस्त विद्यालयों द्वारा भी ऑडिट रिपोर्ट अटल आवासीय विद्यालय समिति के माध्यम से बोर्ड को उपलब्ध करायी जायेगी। 3. ***अनाथ बच्चों*** के सापेक्ष होने वाले व्यय का भुगतान राज्य सरकार द्वारा अटल आवासीय विद्यालय समिति (AVS) को उपलब्ध कराया जायेगा, जिसके माध्यम से विद्यालयों को धनराशि हस्तगत कराया जायेगा। इस हेतु अटल आवासीय विद्यालय समिति (AVS) किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में पृथक से खाते का संचालन करेगा। **<u>7– विद्यालयों में प्रदान किये जाने वाली सुविधाएँ</u>** विद्यालयों में बच्चों को गुणवत्तापूर्ण छात्रावास, खान–पान, खेलकूद, चिकित्सा, सुरक्षा आदि सुविधा जैसा कि अटल आवासीय विद्यालय समिति द्वारा नियत की जाये, प्रदान किये जाने का उत्तरदायित्व विद्यालय प्रबन्धन समिति का होगा। **<u>8– कठिनाइयों का निवारण –</u>** अटल आवासीय विद्यालयों के संचालन में किसी भी प्रकार की कठिनाई उत्पन्न होने पर अटल आवासीय विद्यालय समिति (AVS) निर्णय लेने हेतु सक्षम होगी और इस सम्बन्ध में कोई दिशा–निर्देश/आदेश इत्यादि निर्गत करने हेतु सक्षम होगी।	इसी प्रकार समस्त विद्यालयों द्वारा भी ऑडिट रिपोर्ट अटल आवासीय विद्यालय समिति के माध्यम से बोर्ड को उपलब्ध करायी जायेगी। 3. **कोरोना काल में निराश्रित हुए बच्चों(महिला कल्याण विभाग, लखनऊ से प्राप्त सूची के आधार पर) तथा मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना(सामान्य) के लिए पात्र बच्चों** के सापेक्ष होने वाले व्यय का भुगतान राज्य सरकार द्वारा अटल आवासीय विद्यालय समिति (AVS) को उपलब्ध कराया जायेगा, जिसके माध्यम से विद्यालयों को धनराशि हस्तगत कराया जायेगा। इस हेतु अटल आवासीय विद्यालय समिति (AVS) किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में पृथक से खाते का संचालन करेगा। **<u>7– विद्यालयों में प्रदान किये जाने वाली सुविधाएँ</u>** विद्यालयों में बच्चों को गुणवत्तापूर्ण छात्रावास, खान–पान, खेलकूद, चिकित्सा, सुरक्षा आदि सुविधा जैसा कि अटल आवासीय विद्यालय समिति द्वारा नियत की जाये, प्रदान किये जाने का उत्तरदायित्व विद्यालय प्रबन्धन समिति का होगा। **<u>8– कठिनाइयों का निवारण –</u>** अटल आवासीय विद्यालयों के संचालन में किसी भी प्रकार की कठिनाई उत्पन्न होने पर अटल आवासीय विद्यालय समिति (AVS) निर्णय लेने हेतु सक्षम होगी और इस सम्बन्ध में कोई दिशा–निर्देश/आदेश इत्यादि निर्गत करने हेतु सक्षम होगी।

उपर्युक्तानुसार ''अटल आवासीय विद्यालय योजना'' के संशोधन पर उत्तर प्रदेश शासन से प्राप्त अनापत्ति के क्रम में एतद्द्वारा उ0प्र0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड में पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के बच्चों एवं कोरोना काल में निराश्रित हुए बच्चों **(महिला कल्याण विभाग, लखनऊ से प्राप्त सूची के आधार पर)** तथा मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना (सामान्य) के लिए पात्र बच्चों के हितार्थ संशोधित ''अटल आवासीय विद्यालय योजना'' अधिसूचित की जाती है। उक्त योजना तत्काल प्रभाव से सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में प्रवर्तित व लागू की जाती है।

भवदीया,

/

(निशा अनंत)
सचिव,
उ0प्र0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण
कर्मकार कल्याण बोर्ड।